फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

शैतानसिह पुत्र भंवरसिह बनाम उदयसिह पुत्र भंवरसिह वगैराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 52/2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
22.03.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिह द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पूश्तेनी सामलाती खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि का पर जबरदस्ती कब्जा एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 16.04.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम गिलाकोर पटवार हल्का गिलाकोर तहसील चामू जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 271 की भूमि पर अप्रार्थीगण बेचान नही करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्व नही करें। आगामी पेशी तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश सरकारी योजनाओं पर लागू नही होगा एवं उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 16.04.2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.23 18:53:04 IST
Reason: SelfAttested

16/4/24

14/5/24

14/5/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 21/5/24 को पेश हो। [illegible] जारी किये जावें।

21/5/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] निस्तारित किया जा चुका है। [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 22/3/24 को [illegible] 271 पर [illegible] पत्रावली नतीजा से [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.23 18:53:04 IST
Reason: SelfAttested